4.1.8. बीमार उद्योगों का पुनर्वास

4.1.8.1. रुग्ण उद्योगों को चिन्हित करने की सरल प्रणाली विकसित की जाएंगी एवं जिला स्तर पर इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

4.1.8.2. बीमार औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय एवं अन्य रियायतें देने के लिए तथा बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने के लिए सुविधाओं का विशेष पैकेज एवं बीमार लघु उद्योगों के लिये पुनर्जीवन योजना तैयार की जाएगी, जो कि परिशिष्ट छः, सात एवं आठ पर अवलोकनीय है।

परिशिष्ट–छः

5.6. बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुनर्संचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ''विशेष पैकेज''

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आय.एफ.आर.) संदर्भित बीमार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के द्वारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर बीआईएफआर द्वारा परिसमापन मत के उपरांत लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एमपी स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने पर "**विशेष पैकेज**" के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगीः–

5.6.1 गैर वित्तीय :–

5.6.1.1 प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विवादों को निपटाने में शासन का श्रम विभाग हर संभव मदद करेगा, जिससे उद्योग का संचालन सुचारु रुप से चले।

5.6.1.2. शासन के विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत उद्योग विभाग द्वारा यथोचित सहायता दी जावेगी।

5.6.1.3. आवश्यकतानुसार पुनर्वासित इकाई को सहायता उपक्रम घोषित किया जाएगा।

5.6.2. वित्तीय :–

5.6.2.1. अधिग्रहण की जाने वाली इकाई को पूर्व में स्वीकृत, वाणिज्यिक कर (विक्रय कर, प्रवेश कर, क्रय कर) छूट/आस्थगन सुविधा, अधिग्रहण दिनांक से पात्रता की शेष अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।

5.6.2.2 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता पात्रतानुसार दी जाएगी।

5.6.2.3. यदि अधिग्रहित इकाई पर वाणिज्यिक करों (विक्रय कर, प्रवेश कर, क्रय कर) का देय बकाया हो, तो अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में वास्तविक वाणिज्यिक कर अर्थात असेस्ड टैक्स (Assesed Tax) राशि, एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति को पूर्णतः माफ किया जाएगा, अन्यथा बकाया वाणिज्यिक कर की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.4. यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता द्वारा किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे नवीन इकाई मान्य कर, नवीन इकाई को दी जाने वाली सुविधाएं दी जाएंगी।

(अ) स्थायी पूंजी निवेश की गणना पुनर्वासित स्थायी के पुराने स्थायी आस्तियों का वह ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) लिया जाएगा, जो इकाई को बीआईएफआर द्वारा बीमार घोषित किये गये दिनांक को था।

(ब) यदि इकाई क्रय कर अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रबंधन परिवर्तन के फलस्वरूप ली जाती हे तो उसमें निहित स्थायी पूंजी निवेश की गणना के लिये क्रय मूल्य को मान्य किया जाएगा।

5.6.2.5. म. प्र. विद्युत मण्डल द्वारा इकाई के बंद रहने की अवधि में लगाये गये न्यूनतम मांग शुल्क को माफ किया जाएगा, परन्तु इकाई द्वारा यदि पूर्व में यह शुल्क जमा किया गया है, तो इसकी वापसी या आगे समायोजन नहीं दिया जाएगा।

5.6.2.6. यदि इकाई के अधिग्रहण के तीन माह की अवधि में विद्युत मण्डल के बकाया वास्तविक बिल को एकमुश्त जमा किया जाता है तो बिल भुगतान पर होने वाले विलम्ब के कारण लगाये गये पेनल चार्जेस को पूर्णतः माफ किया जाएगा, अन्यथा वास्तविक देयक की राशि (पेनल चार्जेस सहित) को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.7. यदि अधिग्रहित इकाई का विद्युत बिलों के भुगतान न करने के कारण या विद्युत मण्डल के अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण विद्युत विच्छेदन किया गया है, तो अधिग्रहण करने वाले उद्योग को बिना नवीन सिक्युरिटी डिपाजिट किये, विद्युत पुनर्संयोजन किया जा सकेगा।

5.6.2.8. अधिग्रहण दिनांक तक इकाई पर स्थानीय निकायों के बकाया, जैसे जल कर, चुंगी कर, सम्पत्ति कर इत्यादि का वास्तविक देयक का यदि एक मुश्त भुगतान अधिग्रहण दिनांक से तीन माह में कर दिया जाता है, तो उस लगाई गई सम्पूर्ण ब्याज/शास्ति की राशि माफ कर दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.9. अधिग्रहित इकाई औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्र में स्थित हो तो अधिग्रहणकर्ता को इकाई पर लंबित भू–भाटक, संधारण प्रभार तथा जल प्रदाय शुल्क की वास्तविक देयक को एक मुश्त भुगतान तीन माह की अवधि में करने पर ब्याज/शास्ति से पूर्णतः मुक्ति दी जावेगी, अन्यथा बकाया वास्तविक देयक की राशि ब्याज/शास्ति सहित को अधिग्रहण दिनांक से अधिकतम छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी। यदि इन किश्तों के भुगतान में विलम्ब होता है तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की पी.एल.आर. (प्राइम लेंडिंग रेट) की दर से ब्याज देना होगा।

5.6.2.10 अधिग्रहण करने से भूमि/भवन एवं अन्य आस्तियों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः छूट दी जावेगी।

5.6.2.11 अधिग्रहणकर्ता द्वारा नवीन अंशपूंजी के रूप में रुपये 10 करोड़ से अधिक का वेष्ठन किया जाता है तो इकाई को रुपये 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले मेगा प्रोजेक्ट को दी जाने वाली सुविधायें भी दिये जाने पर विचार किया जाएगा।

उक्त सुविधाओं को मात्र किसी इकाई के अधिग्रहण करने से या क्रय करने से स्वयं लागू नहीं माना जाएगा। इन सुविधाओं में से सुविधा विशेष या सभी सुविधाओं को अधिकतम सीमा तक स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर पॉलिसी पैकेज 1988 के अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, प्रकरण विशेष में स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगी ।

5.7 राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का "पॉलिसी पैकेज 2004"

प्रदेश स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के बीमार उद्योग, जिनके संबंध में प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (Sick Industrial Company (Special Provisions) Act 1985) के अंतर्गत प्रचलित हो एवं बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा इन उद्योगों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार की जा रही हो या तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया हो, को ''पॉलिसी पैकेज 2004'' के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा सकेंगी :–

5.7.1 निर्बाध रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा।

5.7.2. योजना स्वीकृति के दिनांक या स्वीकृत योजना में उल्लेखित 'कट ऑफ डेट' तक इकाई के बंद रहने की अवधि के लिए विद्युत मण्डल के बकाया न्यूनतम मांग शुल्क एवं 'लो पावर फेक्टर' पेनाल्टी को माफ किया जाएगा।

5.7.3 पुनर्वास योजना की अवधि में यदि बीमार उद्योग अधिकतम 'कांट्रेक्ट डिमांड' को कम करना चाहे तो तदानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

5.7.4 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ली गयी 'सिक्यूरिटी डिपाजिट' वर्तमान बिलों में समायोजित की जा सकेगी तथा पुनर्वास अवधि के पश्चात् फिर से 'सिक्यूरिटी डिपाजिट' ली जाएगी।

5.7.5 योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट आफ डेट' तक इकाई पर विद्युत मण्डल के बकाया देयकों के अधिकतम 36 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी।

5.7.6 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 'कट ऑफ डेट' तक या पुनर्वास योजना की स्वीकृति के दिनांक तक के विद्युत बिल के विलम्ब से भुगतान करने पर विद्युत मण्डल द्वारा लगाया जाने वाला पेनल चार्ज माफ किया जाएगा।

5.7.7 इकाईयों को उनके पास उपलब्ध अतिशेष भूमि बेचने/सब लीज पर देने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी, बशर्ते कि वह भूमि औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र में स्थित न हो। भूमि के उपयोग के आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की भी अनुमति दी जा सकेगी। इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि भूमि विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि केवल पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए ही उपयोग में लाई जा सकेगी ।

5.7.8 योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक करों का शासन द्वारा सूचित निर्णय से तीन माह की अवधि में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो वास्तविक अर्थात् ेमेमक ज्ंग राशि जमा करने की सुविधा दी जाकर ब्याज/शास्ति पूर्णतः माफ किया जाएगा।

5.7.9. योजना स्वीकृति के दिनांक या योजना में उल्लेखित 'कट आफ डेट' तक बकाया वाणिज्यिक करों का (ब्याज/शास्ति सहित) आस्थगन पुनर्वास अवधि में दिया जा सकेगा परन्तु पुनर्वास अवधि के पश्चात् अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी जा सकेगी।

5.7.10 यदि इकाई द्वारा बकाया वाणिज्यिक कर का एक मुश्त भुगतान (उपरोक्त सुविधा क्रमांक 5.7.8 अनुसार) किया जाता है तो योजना स्वीकृति के दिनांक या 'कट ऑफ डेट' से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता के अंतर्गत सुविधा दी जाएगी।

5.7.11 इकाई की राज्य शासन से किसी विभाग/संस्था पर यदि कोई बकाया राशि हो तो उसकी वसूली के लिए बैंक गारंटी हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा।

5.7.12. इकाई को आवश्यकतानुसार पुनर्वास अवधि के लिए 'सहायता उपक्रम' घोषित किया जाएगा।

उपर्युक्त पैकेज में दर्शाई गई सुविधायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित बीमार उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों सम्बंधी गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर लिये जाने वाले निर्णय, जो कि ''पॉलिसी पेकेज 2004'' में उल्लेखित सुविधाओं की सीमा तक ही होगा, के अनुसार ही स्वीकृत होंगी।

पॉलिसी पैकेज 2004 के अतिरिक्त उद्योग के पुनर्वास के लिए किसी विशेष सहायता/सुविधा अपेक्षा यदि राज्य शासन से की जाती है तो उस सुविधा विशेष पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि यह सुविधा दी जाना योग्य पाई जाएगी तो समिति अपनी अनुशंसा संबंधित फोरम/समिति या मंत्रि परिषद के निर्णय के लिए अग्रेषित कर सकेगी।

––––

परिशिष्ट – आठ

5.8 बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना

(मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम)

1. लघु उद्योगों में अधिक संख्या में रुग्णता, शासन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक रूग्णता के कारण बेरोजगारी, राज्य व केन्द्र सरकार की राजस्व हानि, संस्थागत वित्त में अवरोध एवं अनुत्पादक संपत्ति वृद्धि आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। रुग्णता के मुख्य कारण अप्रचलित तकनीक, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, कुप्रबंधन, पूंजी का व्यपवर्तन, उद्यमिता की कमी, व्यवसायिकता की कमी, विपणन समस्या आदि चिन्हित किये जा सकते है। औद्योगिक रूग्णता, विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए रुग्णता की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ठोस कदम उठाये जाना राज्य शासन व अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए आवश्यक है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत शासन द्वारा व्यवहार्य बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनःस्थापन एवं गैर–व्यवहार्य बीमार इकाईयों के समापन हेतु 'सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन्स्) एक्ट, 1985' के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. नामक वैधानिक संस्था स्थापित की है परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा व्यवहार्य बीमार लघु उद्योग एवं नॉन–बी.आई. एफ.आर. व्यवहार्य बीमार उद्योगों के पुनःस्थापना के लिए योजनाएं प्रतिपादित की गयी है। मध्यप्रदेश में व्यवहार्य बीमार लघु एवं गैर बी.आई.एफ.आर. उद्योगों के पुर्नस्थापना के लिए 'मार्जिन मनी योजना' जो वर्ष 1981 से लागू है, के अतिरिक्त अन्य कोई योजना विद्यमान नहीं है। व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि लघु उद्योगों को रूग्णता से उबारने के लिए मार्जिन मनी योजना की अपनी सीमाएं हैं। अतः प्रदेश में बीमार लघु उद्योग एवं गैर–बी.आई.एफ.आर. इकाईयों के पुनःस्थापन के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश लघु श्रेणी उद्योग पुनर्जीवन योजना (MPSSIRS) नामक नवीन योजना निम्नानुसार लागू की जाती है।

2. **शीर्षक** (Title) – यह योजना 'मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम (MPSSIRS)] कहलायेगी।

3. **कार्यरत अवधि** (Operation period) – यह योजना आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

4. **प्रयोज्यता** (Applicability) – यह योजना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत केवल लघु श्रेणी औद्योगिक इकाईयों/सहायक इकाईयों एवं गैर–बी.आई.एफ.आर. औद्योगिक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. के लिए अपात्र) जिनके संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में कुल पूंजी विनियोजन रुपये 5.00 लाख से अधिक होगा, पर लागू होगी। सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के उद्यमों के लिए योजना लागू नहीं होगी।

5. परिभाषाएं (Definition)–

5.1 बीमार इकाई (पबा न्दपज) – कोई लघु उद्योग इकाई तब 'बीमार' समझी जावेगी यदि वित्तीय वर्ष 2002–03 अथवा बाद के वित्तीय वर्षों के इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर :–

अ– इकाई का कोई भी उधारी लेखा छः माह से अधिक की अवधि के लिए निम्न स्तर पर बना रहे अर्थात् किसी भी उधारी लेखा के परिप्रेक्ष्य में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओवरड्यू बना रहे। यदि लेखा की वर्तमान स्थिति के निम्न स्तर पर होने के वर्गीकरण की स्थिति में ड्यूकोर्स में कमी भी होती है, तो भी ओवरड्यू अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की आवश्यकता अपरिवर्तित बनी रहेगी।

या

इकाई के नेटवर्थ में क्षरण हुआ हो, जो गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण एवं नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक हो।

एवं

ब– इकाई बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक व्यावसायिक उत्पादनरत रही हो।

एवं

स– ऐसी इकाई न्यूनतम लगातर तीन वर्षों से बंद रही हो। बंद होने का कारण विद्युत विच्छेदन या वणिज्यिक कर का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या अधिकार प्रदत्त समिति जिस कारण को उचित समझे।

द– लेखो का आशय उन अंकेक्षित लेखो से लिया जाएगा, जिसके संबंध में इकाई द्वारा रजिस्टार आफ कम्पनीज को सूचित किया गया हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित हो।

5.2 नेटवर्थ (NetWorth) –

लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय, पेडअप पूंजी तथा फ्री–रिर्जव के योग से है। भागीदारी/स्वामित्व इकाई के प्रकरण में नेटवर्थ का आशय भागीदारों/ स्वामी की कुल पूंजी एवं फ्री–रिर्जव के योग से होगा।

5.3 फ्री–रिजर्वस (Free Reserves) –

फ्री–रिजर्व से आशय उस जमा पूंजी से है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम लेखा से प्राप्त हुई हो परन्तु इसमें एकीकरण प्रावधानों अंतर्गत, आस्तियों के पुर्नमूल्याकंन तथा कम किये गये घसारा से निर्मित पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

5.4 बैंक (Bank) –

बैंक से आशय, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के द्वितीय शेड्यूल अनुसार शेड्यूल बैंक तथा जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक एवं कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से है।

5.5 **वित्तीय संस्था** (Financial Institution) –

वित्तीय संस्था से आशय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं इंवेस्टमेंट निगम, भारतीय औद्योगिक इंवेस्टमेंट बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम या अन्य संस्था से है जो किसी कानून अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्थायी पूंजी हेतु ऋण देने के लिए अधिकृत है।

5.6 **व्यवहार्य बीमार इकाई** (Viable sick unit) –

व्यवहार्य बीमार इकाई का आशय, उत्पादन क्षेत्र की ऐसी इकाई से है, जिसमें संयंत्र व मशीनरी में रुपये 5.00 लाख से अधिक पूंजी वैष्ठन हो एवं जो पुनर्वास पैकेज (जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी), योजना के क्रियान्वयन के पश्चात, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पुनर्संरचित (त्मेजतनबजनतमक) ऋण एवं ब्याज का पूर्णरूप से भुगतान करने के साथ–साथ राज्य शासन/केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल आदि को देय देनदारी का भी भुगतान, पैकेज के क्रियान्वयन अवधि के भीतर कर सके।

5.7 **भुगतान हेतु बकाया राशि** (Dues payable) –

भुगतान हेतु बकाया वह राशि जो समस्त वैधानिक संस्थाएं जैसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलेक्टर, कस्टमस् व सेन्ट्रल एक्साईज, आयुक्त, आयकर, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या अन्य संस्थाएं जिसे इकाई से देय भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

5.8 **अप्रैजल ऐंजेंसी** (Appraisal Agency) –

ऐसी संस्था जो इकाई, वित्तीय संस्था/बैंक तथा पुनःस्थापन समिति की सहमति पश्चात जो बीमार इकाई की व्यवहार्यता का मूल्याकंन करने हेतु निर्धारित की जावे। यह संस्थाएं कंडिका 8.3 में उल्लेखित अनुसार होगी।

5.9 **राज्य सरकार** (State Government) –

इससे आशय मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग से है।

5.10 विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell) –

इससे आशय उद्योग आयुक्त द्वारा योजना के संचालन के उद्देश्य से बनाये गये प्रकोष्ठ विशेष से हैं।

5.11 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (MPSEB) –

इससे आशय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों से है।

5.12 पात्र आस्तियॉ (Eligible Assets) –

से आशय उन आस्तियों से है, जो पुनर्वास पैकेज के स्वीकृत होने से दो वर्ष के अन्दर निर्मित हो तथा यह एम.पी. एस.एस.आई.आर.एस. द्वारा बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी वैष्ठन की सीमा तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आस्तियॉ, जो उक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त/निर्मित की गई हो और/या भुगतान किया गया हो, विचारणीय नहीं होगी।

5.13 पात्र स्थायी पूंजी निवेश (Eligible Fixed Capital Investment) –

इससे आशय उस पूंजी निवेश से है जो भूमि, नवीन भवन, अन्य स्थायी निर्माण, प्लांट एवं मशीनरी तथा टेक्नीकल नो–हाउ फीस से लिया जाएगा।

अ. भूमि (Land) –

भूमि से आशय औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यकता अनुरूप भूमि हेतु, पुनर्वास योजना की अवधि में एवं पुनर्वास योजना के भाग के रूप में, विस्तार व आधुनिकीकरण को सम्मलित कर किन्तु भूमि के विकास पर हुए व्यय को छोड़कर, भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि है।

ब. नवीन भवन (New Building) –

से आशय शेष विस्तार व नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त संयंत्र व मशीनरी के व्यवस्थापन के लिए निर्मित अतिरिक्त भवन से है, जो पुनर्वास योजना की अवधि में एवं उसके एक भाग के रूप में निर्मित होगी।

स. अन्य स्थायी निर्माण (Other Permanent Construction) –

इससे आशय अन्य निर्माण कार्य जो संयंत्र व मशीनरी की स्थापना हेतु या अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आवश्यक है।

द. प्लांट एवं मशीनरी (Plant & Machinery) –

इससे आशय नवीन संयंत्र व मशीनरी तथा आयातित पुरानी मशीनरी एवं संयंत्र व मशीनरी के पूंजीगत स्थापना व्यय तथा निर्माणाधीन अवधि के समय पूंजीगत ब्याज जो कुल स्थायी पूंजी वैष्ठन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, के योग से है।

इ. टेक्नीकल नो–हाउ फी (Technical Know-how fee) –

इकाई के लिए तकनीकी ज्ञान हेतु दिया गया शुल्क या विदेशी प्रदायकर्ता को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रचलित नीति अनुसार अनुमोदित एक मुश्त शुल्क या राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया शुल्क है।

6. राहतें (Reliefs) –

जिन लघु उद्योग, सहायक उद्योग, गैर–बी.आई.एफ.आर. बीमार औद्योगिक इकाईयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सिद्धांततः सहमत हो, उन्हें तद्नुसार निम्न राहत एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाएंगी।

योजना के संचालन हेतु आवश्यक राशि एवं शासन व इसकी संस्थाओं को होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति की व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के बजट में प्रावधान कर की जावेगी। राहत प्राप्त करने वाली इकाईयों की संख्या, उस वर्ष विशेष में उपलब्ध आवंटन के अनुसार सीमित की जाएंगी।

6.1 वित्तीय सहायता (Fiscal Reliefs) –

योजना अन्तर्गत पात्र इकाईयों के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों/ संस्थाओं से निम्नानुसार रियायतें/सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

6.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) –

इकाई को वणिज्यिक कर की बकाया कर राशि अर्थात असेस्ड टैक्स (Assessed Tax) को बिना ब्याज/शास्ति के 36 समान मासिक किश्तों अथवा 12 त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी।

6.1.2 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (MPSEB) –

योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निम्नानुसार राहतें प्रदान की जावेगीः–

अ. इकाई की बंद अवधि का न्यूनतम प्रभार माफ किया जाएगा किंतु ऐसे प्रकरणों में जिनमें इकाई ने राशि पूर्व से जमा कर दी है, उसमें न्यूनतम प्रभार की राशि वापस नहीं की जावेगी।

ब. ऐसे प्रकरणों में जहां पर देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेद हुआ हो अथवा एकतरफा अनुबंध निरस्त हुआ हो उस स्थिति में नवीन सुरक्षा निधि जमा करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

स. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को देय विद्युत देयकों के एरियर्स की राशि को पुनर्वास योजना के स्वीकृत होने के दिनांक से छः अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।

द. इकाई के बंद होने की अवधि में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को बकाया राशि पर देय ब्याज माफ किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु पुनर्संयोजन की स्थिति में देय अतिरिक्त सर्विस चार्ज को माफ किया जाएगा।

ई. इकाई पर म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये पैनल चार्जेज की माफी दी जा सकेगी।

6.1.3 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (Commerce & Industry Department) –

अ. ऐसी लघु उद्योग इकाई जिसकी पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई हो यदि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नवीन टर्म लोन चाहती है तो उसे इस पर मध्यप्रदेश शासन की विद्यमान नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

ब. जो इकाईयां लगातार 3 वर्ष बंद रही हों उन्हे पुनर्वास दिनांक से नवीन इकाई की तरह सुविधायें दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त पूंजी विनियोजन किया जाता है तो उस पर पात्रतानुसार राज्य लागत पूंजी अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

61.4 पूर्व में स्वीकृत सुविधाओं का जारी रहना (Continuation of Incentives sanctioned earlier)

यह योजना उस बीमार इकाई के लिए भी लागू होगी जिसके प्रबंधन में परिवर्तन हुआ हो। पूर्व इकाई को स्वीकृत सुविधाएं शेष पात्रता अवधि हेतु पुनर्जीवित इकाई को भी प्राप्त हो सकेंगी।

6.1.5 अतिरिक्त राहत (Additional Relief) –

उपरोक्त वित्तीय रियायतों के अतिरिक्त, इस योजना में संबंधित प्राधिकारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें देने की अनुशंसा की जा सकती हैः–

अ. पुनर्जीवन योजना के लागू करने के फलस्वरूप पंजीकृत किये जाने वाले विभिन्न अनुबंधों पर 'स्टाम्प ड्यूटी 'से मुक्ति होगी।

ब. यह योजना सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित की जावेगी।

7. अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) –

मध्यप्रदेश शासन इस योजना अंतर्गत पुनर्जीवन पैकेज स्वीकृत करने के लिए निम्न सदस्यों की एक अधिकार प्रदत्त समिति का गठन करता है –

1.	उद्योग आयुक्त, म.प्र.	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव, वित्त विभाग अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम	सदस्य
5.	सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
7.	संबंधित बैंक के महाप्रबंधक (राज्य स्तरीय अधिकारी)	सदस्य
8.	अप्राईजल एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, सिडबी (प्रकरण के सिडबी से संबंधित होने पर)	सदस्य
10.	संचालक, व्यापार एवं लघु उद्योग	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को भी सम्मलित कर सकते हैं। कोरम की पूर्ति के लिए उपस्थित सदस्य संख्या के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपस्थित होना आवश्यक होगा। यह समिति अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। किसी प्रकरण में विचारों में मतभेद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समिति आवेदन

प्राप्त होने से 90 दिवस में निर्णय लेगी। संबंधित आवेदक को निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर अवगत कराया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वे, निश्चित समयावधि में बैठक आयोजित कर निर्णय करावें। यदि निर्णय निश्चित अवधि में न हो सके, तो राज्य शासन (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) को इस बाबत बैठक की तिथि के 15 दिवस में, स्पष्टीकरण दिया जाए।

8. प्रक्रिया (Procedure) –

8.1(अ) प्रारंभिक परीक्षण, प्रकरण की पात्रता

उद्योग आयुक्त कार्यालय में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रतिवेदन सहित, प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक विवेचना की जाएगी एवं समिति के समक्ष रखा जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण को पंजीबद्ध कर पंजीकरण क्रमांक जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 कार्य दिवस में पूरी की जावेगी। आवेदन पत्र का निर्धारण समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

8.2 (ब) सदस्यों के मध्य परिचालनः–

आवेदन के पंजीकरण के उपरांत समिति के सभी सदस्यों को पूर्ण आवेदन की प्रतियां उनके विभाग के अभिमत हेतु परिभ्रमित की जावेंगी। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के अभिमत के साथ समिति की बैठक में उपस्थित होना होगा। संबंधित सदस्यों को उनके विभाग के मत हेतु 15 दिवस में कार्यवाही करनी होगी। संबंधित सदस्यों के विचार एवं अन्य संबंधित मुददों पर, प्रकरण के पंजीयन होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा होगी।

8.3 अप्रैजल हेतु अधिकृत कंसलटेंट को संदर्भ :–

आवेदक अपना आवेदन, जिसमें राज्य शासन से अपेक्षित सहायता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया हो, का अप्रैजल आई.डी.बी.आई. /सिडबी द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कंसलटेन्टों या एम.पी. कॉन से कराना होगा, उक्त कंसलटेन्टों से यह स्पष्ट अनुशंसा करानी होगी कि इकाई का पुनर्जीविकरण संभव है अथवा नहीं? कंसलटेन्ट से प्रेतिवेदित योजना/प्रस्ताव आवेदक को अपने आवेदन में आवश्यक रूप से प्रस्तुंत करना होगा। जिसमें अन्य सम्बंधित समस्याओं यथा बैंकों/वित्तीय संस्था आदि से प्राप्त किये जाने वाली सहायता का भी स्पष्ट उल्लेख/सहमति दर्शायी गयी हो।

8.2 आवेदन शुल्क (Application fee) :– रुपये 1,000/– मात्र ।

8.4 अधिकार प्रदत्त समिति के सदस्यों के मध्य परिचालन (Circulation amongst the members of the Special Cell) :–

अधिकार प्रदत्त समिति का कार्यालय, अप्रेजल एजेंसी के प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा एवं निश्चित करेगा कि यह योजना में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही है। तत्पश्चात इस समिति के सदस्यों के मध्य इसका परिचालन किया जाएगा।

8.5 संबंधित एजेन्सियों के द्वारा स्वीकृतियां (Sanctions by the concerned agencies):–

समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर संबंधित संस्थाएं (राज्य शासन के विभागों एवं उसकी संस्थाओं को छोड़कर) रियायतों एवं सुविधाओं/परित्यागों पर अपनी सहमति 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान करेंगे। इस समय सीमा में यदि वे अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें समिति को तदनुसार सूचित करना चाहिये एवं इस हेतु उन्हें राहतें एवं सुविधाऐं नहीं देने के संबंध में सशक्त कारण देने होंगे।

अधिकारप्रदत्त समिति का निर्णय राज्य शासन के सभी विभागों पर बंधनकारी होगा फिर भी यदि कोई विभाग किसी निर्णय पर पुर्नविचार कराना चाहे तो उसे तदाशय का प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य शासन के विचारार्थ प्रेषित करना होगा।

यदि वित्त पोषित बैंक एवं/या वित्तीय संस्था पुनर्वास सहायता स्वीकृत करने के लिये सहमत नहीं है तो उन्हें सशक्त कारणों के साथ अधिकारप्रदत्त समिति को अवगत कराना होगा ।

8.6 म.प्र. लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना अंतर्गत स्वीकृति (Sanction under MPSSIRS)

उपरोक्त 30 दिवस की अवधि पूर्ण हो जाने पर अधिकारप्रदत्त समिति बैठक में इकाई के प्रकरण पर विचार कर पुनर्जीवन पैकेज पर अन्तिम निर्णय लेगी।

8.7 आदेश जारी करने हेतु समय–सीमा का निर्धारण (Time frame for issuance of orders):–

बीमार इकाई के पुनर्जीवन कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य शासन के संबंधित विभाग एवं अन्य संस्थाएं बीमार इकाई को विभिन्न अधिनियमों/नियमों/नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकारप्रदत्त समिति के निर्णयानुसार राहतें स्वीकृत करेंगी। समिति के बैठक के कार्यवाही विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इकाई को स्वीकृत राहतें/सुविधाओं संबंधी अन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में स्वमेव स्वीकृति दी गई, ऐसा मान्य किया जाएगा।

8.8 वित्तीय परित्याग का परिमाण (Quantum of Financial Sacrifice) :–

पुनर्जीवन पैकेज का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि राज्य शासन/म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय परित्याग की राशि, वित्तीय संस्था/बैंक के द्वारा किये जाने वाले वित्तीय परित्याग से अधिक नहीं हो । यह शर्त उस इकाई के प्रकरण में लागू नहीं होगी जिसके द्वारा राज्य शासन को वर्तमान पैकेज में सहायता के लिये अनुरोध किये जाने के दिनांक तक किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो। वित्तीय परित्याग की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगा :–

– इकाई को राहत/किश्तों में एरियर भुगतान की सुविधा, राज्य शासन 12 प्रतिशत ब्याज दर पर देगी। राज्य शासन साधारणतः एरियर्स की वसूली दाण्डिक ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर करती है अतःदोनों ब्याज दरों में अन्तर अर्थात 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर राज्य शासन की ओर से वित्तीय त्याग माना जाएगा ।

– म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दी जाने वाली राहत एवं छूट मुक्ति के रूप में होगी जैसे कि जिस प्रकरण में विद्युत विच्छेद बिलों की अदायगी न करने के कारण अथवा एक तरफा अनुबंध के विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण नवीन सुरक्षा राशि जमा करने से एवं बन्द अवधि के न्यूनतम प्रभार से छूट रहेगी ।

– ऐसे प्रकरणों में मुक्ति सुविधा के रूप में दी जा रही सुरक्षा जमा राशि/न्यूनतम प्रभार का कुल योग एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जिसकी गणना जमा राशि के भुगतान दिनांक से पुर्नजीवन पैकेज के निष्काषन दिनांक तक होगी, को परित्याग की राशि माना जाएगा ।

8.9 राहत देने हेतु शर्तें एवं निबंधन (terms and Conditions for Grant of Relief):–

अ. अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली इकाई की समयबद्ध समीक्षा की जावेगी, जो वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त होगी। पुनर्जीवन अवधि में इकाई को अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित किसी चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म से लेखा परीक्षण कराना होगा। ऐसी इकाईयां जो इस योजनान्तर्गत राहत प्राप्त करेंगी, वे न तो डिवीडेण्ड घोषित करेंगी और न ही पुनर्जीवन पैकेज के कार्यकाल में प्रमोटर्स द्वारा जमा किये गये राशि पर कोई ब्याज ही देंगी।

ब. इस योजनान्तर्गत सुविधा प्राप्त कर रही औद्योगिक इकाई प्रदूषण नियन्त्रण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित मापदण्ड अनुसार प्रभावी कदम लेंगे एवं इसका संचालन चालू हालत में बनाये रखेंगे।

स. औद्योगिक इकाई को कम से कम योजनान्तर्गत दी गई पुनर्जीवन अवधि के समाप्त होने तक लगातार उत्पादनरत रहना होगा।

द. औद्योगिक इकाई राज्य शासन द्वारा एवं अधिकारप्रदत्त समिति द्वारा समय–समय पर चाहे जाने पर अपने उत्पादन, रोजगार एवं अन्य जानकारी के विस्तृत विवरण उपलब्ध करायेगी।